

19TH MARCH THE HINDU

A FATAL MARGIN OF ERROR

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न मामलों में मृत्युदंड दिया गया है, लेकिन मृत्युदंड की प्रक्रिया का असंगत और मनमाना होना चिंता का विषय है।
- कोर्ट द्वारा विभिन्न निर्णयों में दिए जा रहे आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड की सजा अपराध की पूर्व नियोजित व क्रूर प्रकृति तथा पीड़ितों की संख्या पर निर्भर करती है।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रभावी सजा सुनवाई पर बल दिया गया और हिरासत में अभियुक्त के अच्छे आचरण, शिक्षा, आयु, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक स्थिति में सुधार जैसी संभावनाओं को रेखांकित किया, तथा सजा निर्धारित करते समय अपराधी व अपराध की प्रकृति, आचरण उसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर विचार करना चाहिए।
- मार्च 2019 में खुशविंदर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौत की सजा दी गई। सत्र अदालत ने खुशविंदर सिंह को अपने 6 रिश्तेदारों कि हत्या का दोषी पाया था, इसके पहले 2018 में दिल्ली के सामूहिक बलात्कार के मामले में कोर्ट द्वारा मृत्युदंड को बरकरार रखा था।
- 2018 में एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एंटनी बनाम केरल राज्य मामले में अभियुक्त द्वारा हत्या के मामले में मृत्युदंड की पुष्टि हेतु सबूतों के अभाव में कोर्ट ने यह पाया कि अपराधी प्राकृतिक रूप से अपराधी नहीं है तथा उसमें सुधार की गुंजाईश है। खुशविंदर सिंह एवं एंटनी के मामलों के बीच अपराध की प्रकृति समान थी, किंतु कोर्ट द्वारा दी गई सजा की प्रकृति में अंतर था, दोनों मामलों में परिवार के 6 सदस्यों को जान गवानी पड़ी।
- कानून के जानकारों का मानना है कि खुशविंदर सिंह मामले के विपरित एंटनी मामले में असंगत दृष्टिकोण को अपनाया तथा किसी भी एकीकृत दृष्टिकोण को विकसित नहीं किया गया है तथा प्रो-एक्टिव और संवेदनशील जजों द्वारा विभिन्न मामलों में कानूनी प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता मृत्युदंड को प्रभावित करती है।
- न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ द्वारा वर्मा बनाम छत्तीसगढ़ मामले में मृत्युदंड के क्रमिक उन्मूलन का आह्वान करते हुए अदालतों की आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।

- महाराष्ट्र के नासिक में डकैती करने वाले गैंग ने परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी थी जिसमें एक 15 साल की बच्ची भी शामिल थी जिसका रेप भी हुआ था।
- पुलिस ने इस अपराध में खानाबदोश जनजाति के छह लोगों को गिरफ्तार किया। सत्र न्यायालय द्वारा इन 6 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट द्वारा 3 लोगों को फांसी की तथा 3 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर ही अपनी मुहर लगा दी।
- 2009 में इस निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। इस पुनर्विचार याचिका पर 2018 में सुनवाई करना शुरू किया तथा 2009 में दिए गए अपने फैसले को पलटते हुए कहा कि खानाबदोश जनजाति के 6 लोगों द्वारा अपराध नहीं किया गया था। यह संभव है कि अपराध की जघन्य प्रकृति ने मामले के परिणाम को प्रभावित किया होगा।
- यह मामला मृत्युदण्ड की अवधारणा के खिलाफ एक मजबूत तर्क रखता है कि यदि 6 व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई होती तो सच भी इसके साथ ही दफन हो जाता।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ वर्ष पहले यह भी फैसला सुनाया गया था कि मौत की सजा के मामलों की समीक्षा याचिकाओं को खुली अदालत में सुना जाना चाहिए।
- कानूनी प्रक्रिया में विलंब, मृत्युदण्ड की प्रतीक्षा पर समीक्षा सुनवाई या दया याचिका के निपटान के लिए अभियुक्त को मिलने वाली राहत में विलंब करता है।
- इसके अलावा विभिन्न अदालतों द्वारा दुर्लभ मामलों में इस तरह के निर्णय असंगत न्याय प्रतीत होता है। इस अर्थ में मौत की सजा एक नैतिक दुविधा को जन्म देती है कि क्या अपराध उन्मूलन का एकमात्र रास्ता मृत्युदंड है?

निष्कर्ष:- भारतीय न्याय प्रणाली में विभिन्न दण्ड उपराचात्मक स्वरूप लिए हुए है न कि नकारात्मक स्वरूप। हाल के वर्षों में भारत में भी मानवाधिकार समर्थकों, बुद्धिजीवियों के द्वारा मृत्युदंड को समाप्त करने हेतु आवाज उठाई जा रही है। उनका तर्क है कि एक तरफ मृत्युदण्ड अपने आप में किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा 'दुर्लभ में दुर्लभतम' मामलों में मृत्युदंड जैसी सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे अपराधों में जहां आजीवन कारावास की सजा अपराध की प्रकृति की तुलना में कम लगता हो, उन मामलों में फांसी की सजा दी जा सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

निम्न कथनों पर विचार कीजिए -

1. औपनिवेशिक भारत में भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अनुसार मौत की सजा को निर्धारित किया गया जो वर्तमान में भी जारी है।
2. स्वतंत्र भारत में पहली मौत की सजा नाथुराम गोडसे और नारायण आष्टे को दी गई।
3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथन में कौन-सा/से सत्य है?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) उपर्युक्त सभी

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न उत्तर:- (D)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:-

मौत की सजा मानवीय गरिमा के साथ संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है परन्तु जघन्यतम अपराध के लिए मौत की सजा आधुनिक समाज को सभ्य बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है, जिससे न्यायप्रणाली की गरिमा बनी रहे। उपर्युक्त कथन के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि मौत की सजा का कोई भी प्रारूप भारत जैसे देश में कितना प्रासंगिक है?